न्यायालय मुंसिफ, डुमरॉव, बक्सर।

टी0 एस0– 61/1991

12.09.2022

उभय पक्ष की हाजिरी दी गयी। वादी द्वारा दाखिल दिनांक–23.07.2021 का प्रतिस्थापन आवेदन अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 धारा 151 सी.पी.सी. एवं अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 धारा 151 सी.पी.सी. का आवेदन प्रचालित किया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वादी सं0–2 शिव गोपाल सिंह की मृत्यु दिनांक–01.05.2021 को हो चुकी है। अतः उनका नाम कलमजद कर उनके स्थान पर उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाए । एक अन्य आवेदन में वादी का कथन है कि वाद लम्बन की स्थिति में न्यायालय के आदेश के अवहेलना करते हुए प्रतिवादी राजू रंजन सिंह द्वारा दिनांक 21.08.2018 को वादग्रस्त भू–खंड मौजा अरक थाना नंबर 94 खाता नंबर 536 खेसरा नंबर 1327 में 7 डी0 भू–खंड शारदा देवी पति सुदामा चौधरी साकिन अरक थाना कृष्णाब्रह्म जिला बक्सर को बेच दिया गया है। अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि उपरोक्त वाद में शारदा देवी साकिन अरक थाना कृष्णाब्रहम जिला बक्सर को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाते हुए वाद की अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं वाद अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन के पश्चात् वादी द्वारा दाखिल दिनांक 23.07.2021 के प्रतिस्थापन आवेदन एवं दिनांक 06.08.2019 को पक्षकार बनाने का आवेदन न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक–29.11.2022 वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

मुंसिफ, डुमरॉव